न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 108/2020, जिला सीकर

1. अमीचन्द पुत्र भागू जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील दातारामगढ जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर राज0।
2. जगदीश पुत्र भुरा
3. महावीर पुत्र भुरा समस्त जाति जाट निवासी सीतारामपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

4. ईश्वर पुत्र राजूराम
5. कानाराम उर्फ कन्हैया पुत्र लूणाराम
6. जमना देवी पत्नी नरसीराम
7. बाबूलाल पुत्र रामूराम
8. मोहनलाल पुत्र लूणाराम
9. मोहनी देवी पत्नी गणेशराम समस्त जाति जाट निवासी सीतारामपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
10. चोखाराम पुत्र चन्द्रा
11. जगदीश पुत्र चन्द्रा
12. धोकलराम पुत्र चन्द्रा
13. नून्दा पुत्र रतना
14. फूली पत्नी रतना
15. बीरबल पुत्र रतना
16. म्हादू पुत्र ईसरा
17. महावीर पुत्र रतना
18. मांगी देवी पत्नी भागू
19. माली देवी पुत्री भागू
20. मोहनी देवी पत्नी ईसरा (मृतक) जर्ये
    20/1 माधूराम पुत्र ईसरा
    20/2 साधूराम पुत्र ईसरा
21. मोहनी देवी पत्नी भागू
22. रतना पुत्र चन्द्रा
23. रामप्रताप पुत्र रतना (मृतक) जर्ये
    23/1 प्रकाश पुत्र रामप्रताप
    23/2 राकेश पुत्र रामप्रताप
    23/3 सन्तोष देवी पत्नी रामप्रताप
    23/4 पिंकी पुत्री रामप्रताप
24. लाडा देवी पुत्री भागू
25. श्रवण पुत्र भागू
26. सुरजी देवी पत्नी जोधाराम
27. साधु पुत्र ईसरा
28. सोनाराम पुत्र भागू समस्त जाति जाट निवासी गीलों की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर।

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री राकेश शेखावत वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक –04.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2020 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम गीलों की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 541, 542, 543 व 545 के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार दातारामगढ ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2020 को उक्त खसरा नम्बरों में रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।
3. उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट अमीचन्द पुत्र भागू जाति जाट द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ दिनांक 30.12.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम गीलों की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 541/0.66 है0 में से 0.280 है0 रकबा 542/0.73 में से 0.02 है0, रकबा 543/1.24 है0 में से 0.0660 एवं रकबा 545/3.73 है0 में से 0.370 है0 अर्थात् 0.1510 है0 की तहसीलदार दातारामगढ व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है बल्कि जो रास्ता गीलों की ढाणी से सीतारामपुरा जाने हेतु है वह उक्त खसरा नम्बरों के उत्तर में स्थित अन्य खसरा नम्बरों 3474, 3475 व 3484 में से होकर जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ दिनांक 30.12.2019 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नं. 541, 542, 543 व 545 से होकर एक पुराना प्रचलित रास्ता कदीम से कायम है जिस पर न केवल प्रार्थीगण आते जाते हैं बल्कि अन्य खातेदार भी वर्षों से आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार दातारामगढ ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित रास्ता एक लम्बा रास्ता है व अनेक खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर चालू है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं जिस पर अन्य सभी खातेदारों को भी कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। धारा–58, 86 में भी सम्बन्धित को भ्रमण की सूचना देने की ही अपेक्षा है जहॉ तक अपीलांट का कथन है कि वह वर्तमान में रतलाम रहता है जिस बाबत् उसे कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं मिला इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट ने उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की वह वर्तमान में रतलाम में निवास करता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>अतः आदेश है कि:</u> अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner